कार्यवृत्त

दिनांक 01-02-2019

जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश संख्या 21/2019 दिनांकित 29-01-2019 के अनुपालन में Uttar Pradesh Fast Track Court/ Additional Court & Contractual ICT Posts Recruitment 2017 के सम्बन्ध में समिति की बैठक आज दिनांक 01-02-2019 को सायं 4.00 बजे मेरी अध्यक्षता में मेरे विश्राम कक्ष में आहूत की गयी। इस बैठक में समिति के अन्य सदस्य श्री राकेश कुमार तिवारी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायबरेली व श्री परितोष श्रेष्ठ, सचिव जिला विधि सेवा प्राधिकरण रायबरेली भी उपस्थित आये।

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र दिनांकित 25-01-2019 द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि जिन अभ्यर्थियों को उपरोक्त परीक्षा में चयनित किया गया है उनके सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही की जानी हैः-

- सभी मूल प्रपत्रों का सत्यापन तथा अभ्यर्थी के आन लाइन प्रार्थनापत्र की सूचना से क्रास चेक किया जाना।
- इस बात की संतुष्टि करना कि अभ्यर्थी प्रत्येक दशा में सम्बद्धता के लिए उपयुक्त है।
- उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा नियमावली 2013 में वर्णित मानक के अनुरूप चिकित्सीय परीक्षा में उत्तीर्ण।
- सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति/सम्बद्धता हेतु ज्वाइनिंग समय उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा नियमावली नियम 2013 के नियम 18 के अनुरूप होगा।
- जिला जज/नियुक्ति प्राधिकारी तथा चयनित अभ्यर्थी के मध्य हस्ताक्षरित कार्य का अनुबन्ध।
- चयनित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा इस आशय का बाण्ड देना होगा कि वह दो वर्ष की अवधि तक अपनी सेवा से न तो त्यागपत्र दंगें न ही सेवा को छोड़ेगें अथवा न ही उसका परित्याग करेगें तथा यदि वे ऐसा करते है तो वह तीन माह के वेतन के बराबर क्षतिपूर्ति विभाग को देगें।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर विचार विमर्श करने के उपरान्त एक मत से समिति द्वारा सभी चयनित अभ्यार्थियों को निम्न निर्देश के साथ दिनांक **07-02-2019** को नियत कर पत्र जारी किया जायः-

1- सभी चयनित अभ्यर्थियों को अपने समस्त शैक्षणिक/अर्हताओं के मूल प्रपत्र के साथ दिनांक **07-02-2019** को प्रातः **10.30** बजे समिति के समक्ष **सभागार, जनपद न्यायालय रायबरेली** में उपस्थित आये।

2- सभी अभ्यर्थी मुख्य चिकित्साधिकारी रायबरेली के द्वारा निर्गत चिकित्सीय प्रमाणपत्र भी पस्तुत करेगें।

3- सभी अभ्यर्थियों को यह भी निर्देषित किया जाता है कि उन्हे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिन पदों पर उनको चयनित किया गया है उन सब पदों की विज्ञप्ति में वर्णित अर्हताओं से सम्बन्धित सभी प्रमाणपत्र मूल में प्रस्तुत करें।

4- समिति द्वारा यह भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सिस्टम आफिसर जनपद न्यायालय रायबरेली अभ्यर्थियों की उपस्थित होने की तिथि के विषय में सभी अभ्यर्थियों को उनके दूरभाष संख्या पर एस0एम0एस0 करें तथा मेल आई0डी0 पर ई-मेल करें। सिस्टम आफिसर इस कार्यवृत्त को माननीय उच्च न्यायालय के बेवसाइड पर अपलोड करें।

5- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, जनपद न्यायालय रायबरेली सभी चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक **07-02-2019** की सूचना जरिये स्पीड पोस्ट अविलम्ब प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

6– मुख्य चिकित्साधिकारी रायबरेली को चयनित अभ्यर्थियों की सूची की छाया प्रति के साथ पत्र प्रेषित हो।

1.2.19	Rakesh Kumar Tripathi 01-02-19	1-2-19
(परितोष श्रेष्ठ)	**(राकेश कुमार त्रिपाठी)**	**(रामकृपाल)**
सदस्य,	सदस्य,	अध्यक्ष,
सचिव डी0एल0एस0ए0	द्वितीय ए0डी0जे	प्रथम ए0डी0जे0
रायबरेली।	रायबरेली।	रायबरेली।

Scanned by CamScanner